

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा का निधन राजकीय सेवा में रहते हुए उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने एवं स्थानीय निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर इनकी सेवाएं उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से समाप्त की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विषय	जन्म तिथि	निधन दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
01.	SANTOSH MEENA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VAJIRPUR (212835) S.MADHOPUR	BIOLOGY	07-07-1982	17-07-2021	17-07-2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

दिनांक:- 08/09/2021

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/सेवा-समाप्ति/2019-20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग.....।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय मा. शिक्षा.....।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा.....।
6. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि/राबाउमावि.....।
7. संबंधित आश्रित, द्वारा संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि.....।
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एबी अनुभाग/संस्थापन सी-2 (प्रभाग ओएसी)।
9. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर